



चिन्मय विद्यालय, नई दिल्ली
परीक्षा एवं पदोन्नति के दिशानिर्देश
कक्षा VI-IX&XI के लिए
2025-2026

Circular No. CV/Acad/2025/022

21st April, 2025

हरि ओम!

प्रिय माता पिता

कृपया ध्यान दें:

शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा VI-IX और XI के लिए परीक्षा और प्रोन्नति के दिशानिर्देश 2025-2026 डीओई परिपत्र संख्या डीई.5/212/परीक्षा/16-17/भाग1/717-727 दिनांक 07/10/2022 (कक्षा VI-VIII के लिए), डीई.5/212/परीक्षा/16-17/भाग1/365-374 दिनांक 01/07/2022 और डीई.5/212/परीक्षा/16-17/भाग1/400-407 दिनांक 07/07/2022 (कक्षा IX और XI के लिए) के अनुसार।

हम पदोन्नति नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं जिसका पालन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि आपका बच्चा अपनी अधिकतम क्षमता प्राप्त कर सके।

मूल्यांकन मानदंड इस प्रकार है:

1. कक्षा VI-VIII के लिए

कक्षा आठ

शैक्षिक – भाग I:

तालिका में दिए गए अंकों के भार के अनुसार पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा:

क्र. सं.	विषय	आवधिक परीक्षण-1 (जुलाई)		मध्यावधि परीक्षा (सितम्बर)		आवधिक परीक्षण -2 (अक्टूबर-नवंबर)		वार्षिक परीक्षा (फरवरी-मार्च)	
		अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व
1	अंग्रेज़ी	30	5	60	20	30	5	60	50
2	हिन्दी	30	5	60	20	30	5	60	50
3	अंक शास्त्र	30	5	60	20	30	5	60	50
4	विज्ञान	30	5	60	20	30	5	60	50
5	सामाजिक विज्ञान	30	5	60	20	30	5	60	50
6	संस्कृत	30	5	60	20	30	5	60	50

- मध्यावधि एवं वार्षिक परीक्षा 60-60 अंकों की होगी।
- मध्यावधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम से तैयार किये जायेंगे।
- वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय सत्र में शामिल सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से तैयार किये जायेंगे।

शैक्षिक - भाग II:

ए स ए न	विषय	आवधिक परीक्षण-1 (जुलाई)		मध्यावधि परीक्षा (सितम्बर)		आवधिक परीक्षण -2 (अक्टूबर-नवंबर)		वार्षिक परीक्षा (फरवरी-मार्च)	
		अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व
7	कंप्यूटर विज्ञान (अतिरिक्त)	--	--	50 लि. 25 प्र.	25 लि. 25 प्र.	30	05	50 लि. 50 प्र.	25 लि. 25 प्र.
8	सामान्य ज्ञान	--	--	30	--	--	--	30	--
9	मूल्य शिक्षा	--	--	30 लि. 20 प्र.	--	--	--	30 लि. 20 प्र.	--

अ अंक - अधिकतम अंक, लि. - सिद्धांत, प्र. - व्यावहारिक

आंतरिक मूल्यांकन:

आवधिक परीक्षण	5
पोर्टफोलियो	5
विषय संवर्धन	5
एकाधिक मूल्यांकन	5
परियोजना आधारित गतिविधियाँ	5
छात्र की उपस्थिति	5
कुल	30

अंतिम परिणाम (100) = मध्यावधि (20) + वार्षिक (50) + आंतरिक मूल्यांकन (30)

सह-शैक्षणिक:

शारीरिक शिक्षा, योग, स्वास्थ्य एवं कल्याण, कार्य शिक्षा, कला/शिल्प शिक्षा, सेवा, सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल, कौशल विषय, वगैरह। 3-पॉइंट ग्रेडिंग स्केल पर ग्रेड दिया जाएगा:

श्रेणी	ए	बी	सी
अर्थ	असाधारण	बहुत अच्छा	अच्छा

आंतरिक मूल्यांकन के मापदंड (30 अंक):

1. छात्र की उपस्थिति (5 अंक)

उपस्थिति सीमा % में	96-100	91-95	86-90	81-85	76-80	75 तक
निशान	5	4	3	2	1	शून्य

2. विषय संवर्धन (5 अंक)

ये विषय विशेष अनुप्रयोग गतिविधियाँ हैं जिनका उद्देश्य समझ को समृद्ध करना और कौशल विकास करना है।

3. परियोजना आधारित गतिविधियाँ (5 अंक)

ये गतिविधियाँ समस्याओं की पहचान, तार्किक सोच, रचनात्मकता, अनुमान लगाने और वास्तविक दुनिया में समस्या समाधान जैसे प्रमुख कौशलों के विकास में सहायक होती हैं।

4. पोर्टफोलियो (5 अंक)

यह छात्रों के कार्यों का संग्रह है, जो समय के साथ एकत्रित प्रदर्शनों का चयन दर्शाता है तथा प्रमुख क्षेत्रों में छात्रों के प्रयासों, प्रगति, विकास और उपलब्धियों का वर्णन करता है।

5. बहु मूल्यांकन (5 अंक)

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन का अधिक व्यापक रूप से मूल्यांकन करना तथा उनका आकलन करने के लिए बहुविध एवं विविध तकनीकों के उपयोग हेतु लचीलापन प्रदान करना है।

6. आवधिक परीक्षण (5 अंक)

आवधिक परीक्षाओं का पैटर्न टर्म एंड परीक्षा के समान ही होगा। प्रत्येक टर्म में 30 अंकों के लिए एक आवधिक परीक्षण आयोजित किया जाएगा।

उत्तीर्णता मानदंड:

- सत्र के अंत में अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति के लिए “उत्तीर्ण” घोषित किए जाने हेतु, छात्र को सत्र के दौरान उसके द्वारा अध्ययन किए गए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे।
- अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति भी इस शर्त के अधीन होगी कि वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त किए जाएं।
- प्रत्येक विषय में न्यूनतम आवश्यक 33% अंक प्राप्त करने के लिए छात्र को अधिकतम 10 अंक (एक विषय में 5 अंक से अधिक नहीं) तक का अनुग्रह अंक प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त किए गए हों।
- ग्रेस मार्क्स के पात्र छात्रों को सत्र के अंत में 'प्रोन्नत' घोषित किया जाएगा।

पुनः परीक्षा:

- वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को सभी अनुत्तीर्ण विषयों में पुनः परीक्षा देने के लिए पात्र घोषित किया जा सकता है।
- पुनः परीक्षा वार्षिक परीक्षा के समान पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आयोजित की जाएगी।
- आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को आगे ले जाया जाएगा और छात्र द्वारा पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जाएगा।
- पुनः परीक्षा में “उत्तीर्ण” घोषित होने के लिए छात्र को उस विषय में कम से कम 25% अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें उसने पुनः परीक्षा दी है।
- अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए पुनः परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को अनुग्रह अंक का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

आवश्यक पुनरावृत्ति (ईआर) के लिए मानदंड:

- यदि कोई छात्र उस विषय में कम से कम 25% अंक प्राप्त नहीं करता है जिसमें उसने पुनः परीक्षा दी है या पुनः परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो उसे "आवश्यक पुनरावृत्ति" की श्रेणी में रखा जाएगा।
- कक्षा आठ का वह विद्यार्थी जो उत्तीर्ण, प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं है तथा जिसे "आवश्यक पुनरावृत्ति (ईआर)" की श्रेणी में रखा गया है, उसे अगले सत्र के दौरान उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।

नोट: कक्षा VI और VII का मूल्यांकन कक्षा आठ की तरह ही परीक्षा पैटर्न पर ही परीक्षा ली जाएगी।

2. कक्षा 9 के लिए

शैक्षिक:

तालिका में दिए गए अंकों के भार के अनुसार पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा:

एस.एन.	विषय	आवधिक परीक्षण-1 (जुलाई)		मध्यावधि परीक्षा (सितम्बर)		आवधिक परीक्षण -2 (अक्टूबर-नवंबर)		वार्षिक परीक्षा (फरवरी-मार्च)	
		अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व	अ अंक	महत्व
1	अंग्रेज़ी	30	5	80	30	30	5	80	50
2	हिन्दी	30	5	80	30	30	5	80	50
3	अंक शास्त्र	30	5	80	30	30	5	80	50
4	विज्ञान	30	5	80	30	30	5	80	50
5	सामाजिक विज्ञान	30	5	80	30	30	5	80	50
6	संस्कृत	30	5	80	30	30	5	80	50
7	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अतिरिक्त)	30	5	50 लि. 20 प्र.	25 लि. 20 प्र.	30	5	50 लि. 20 प्र.	25 लि. 20 प्र.

- ❖ मध्यावधि एवं वार्षिक परीक्षा 80-80 अंकों की होगी।
- ❖ मध्यावधि परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सीबीएसई के अनुसार प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम से तैयार किए जाएंगे।
- ❖ वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सीबीएसई के अनुसार प्रथम और द्वितीय सत्र में शामिल पूरे पाठ्यक्रम से तैयार किए जाएंगे।

आंतरिक मूल्यांकन:

आवधिक परीक्षण	औसत का 2	5
पोर्टफोलियो	औसत का 2	5
विषय संवर्धन	औसत का 2	5
एकाधिक मूल्यांकन	औसत का 2	5
	कुल	20

अंतिम परिणाम (100) = मध्यावधि (30) + वार्षिक (50) + आंतरिक मूल्यांकन (20)

सह-शैक्षणिक:

सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में शारीरिक शिक्षा, योग, स्वास्थ्य एवं कल्याण, कार्य शिक्षा, कला/शिल्प शिक्षा, सेवा, सामाजिक और भावनात्मक कौशल आदि शामिल होंगे। इन सह-शैक्षणिक गतिविधियों को 5-बिंदु ग्रेडिंग स्केल पर वर्गीकृत किया जाएगा:

श्रेणी	ए	बी	सी	डी	इ
अर्थ	अनुकरणीय	प्रवीण	विकासशील	उभरते	शुरुआती

कक्षा IX के लिए उत्तीर्णता मानदंड:

- सत्र के अंत में अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति के लिए “उत्तीर्ण” घोषित किए जाने हेतु, छात्र को सत्र के दौरान उसके द्वारा अध्ययन किए गए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे।
- अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति भी इस शर्त के अधीन होगी कि वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त किए जाएं।
- प्रत्येक विषय में न्यूनतम आवश्यक 33% अंक प्राप्त करने के लिए छात्र को अधिकतम 10 अंक (एक विषय में 5 अंक से अधिक नहीं) तक का अनुग्रह अंक प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त किए गए हों।
- ग्रेस मार्क्स के हकदार छात्रों को सत्र के अंत में 'प्रोन्नत' घोषित किया जाएगा।

कक्षा IX के लिए पुनः परीक्षा:

- वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले छात्र को अधिकतम दो अनुत्तीर्ण विषयों में पुनः परीक्षा में बैठने के लिए पात्र घोषित किया जा सकता है।
- पुनः परीक्षा वार्षिक परीक्षा के समान पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आयोजित की जाएगी।
- आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को आगे ले जाया जाएगा और छात्र द्वारा पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जाएगा।
- पुनः परीक्षा में “उत्तीर्ण” घोषित होने के लिए छात्र को उस विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें उसने पुनः परीक्षा दी है।

- अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए पुनः परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को अनुग्रह अंक का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

आवश्यक पुनरावृत्ति (ईआर) के लिए मानदंड:

- यदि कोई छात्र उस विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त नहीं करता है जिसमें उसने पुनः परीक्षा दी है या पुनः परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो उसे "आवश्यक पुनरावृत्ति" की श्रेणी में रखा जाएगा।
- कक्षा 9 का वह विद्यार्थी जो उत्तीर्णता, प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं है तथा जिसे "आवश्यक पुनरावृत्ति (ईआर)" की श्रेणी में रखा गया है, उसे अगले सत्र के दौरान उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।

3. कक्षा ग्यारह के लिए

विषयों	यूनिट टेस्ट - 1 (जुलाई)	मध्यावधि परीक्षा (सितम्बर)		यूनिट टेस्ट -2 (अक्टूबर- नवंबर)	वार्षिक परीक्षा (फरवरी-मार्च)		एकीकृत
	अ अंक	अ अंक	महत्व	अ अंक	अ अंक	महत्व	कुल मार्क (मध्य अवधि+ वार्षिक)
भौतिकी(042) रसायन विज्ञान(043) जीवविज्ञान(044) कंप्यूटर विज्ञान(083) सूचना विज्ञान अभ्यास(065) मनोविज्ञान (037) शारीरिक शिक्षा (048)	30	सिद्धांत - 70 व्यावहारिक - 30	सिद्धांत - 20 व्यावहारिक - 10	30	सिद्धांत - 70 व्यावहारिक - 30	सिद्धांत - 50 प्रैक्टिकल- 20	सिद्धांत - 70 प्रैक्टिकल- 30
अंग्रेजी(301) अर्थशास्त्र(030) अकाउंटेंसी(055) बिजनेस स्टडीज(054) गणित(041) राजनीति विज्ञान(028)	30	सिद्धांत - 80 परियोजना/इंट एसोसिएशन - 20	सिद्धांत - 30 प्रोजेक्ट/इंट एसेस -10	30	सिद्धांत - 80 परियोजना/इंट एसोसिएशन - 20	सिद्धांत - 50 प्रोजेक्ट/इंट एसेस -10	सिद्धांत - 80 प्रोजेक्ट/इंट एसेस -20
पेंटिंग(049) संगीत (034)	20	सिद्धांत - 30 प्रैक्टिकल- 70	सिद्धांत - 10 व्यावहारिक - 20	20	सिद्धांत - 30 प्रैक्टिकल- 70	सिद्धांत - 20 व्यावहारिक - 50	सिद्धांत - 30 प्रैक्टिकल- 70
मूल्य शिक्षा और मानसिकता	--	--	सिद्धांत 30 आंतरिक मूल्यांकन 20	--	--	सिद्धांत 30 आंतरिक मूल्यांकन 20	--

- ❖ मध्यावधि परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सीबीएसई के अनुसार प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम से तैयार किए जाएंगे।
- ❖ वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सीबीएसई के अनुसार प्रथम और द्वितीय सत्र में शामिल पूरे पाठ्यक्रम से तैयार किए जाएंगे।

सह-शैक्षणिक गतिविधियों को 8-बिंदु ग्रेडिंग स्केल पर वर्गीकृत किया जाएगा:

श्रेणी	ए 1	ए2	बी 1	बी2	सी 1	सी2	डी	इ
--------	-----	----	------	-----	------	-----	----	---

कक्षा ग्यारह के लिए उत्तीर्णता मानदंड:


- पास घोषित होने के लिए, छात्र को अतिरिक्त विषय को छोड़कर 5 मुख्य विषयों में से प्रत्येक में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे, कुल मिलाकर थ्योरी और कुल मिलाकर आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रेक्टिकल में अलग-अलग। पदोन्नति इस शर्त के अधीन भी है कि वार्षिक परीक्षा में पांच मुख्य विषयों में से प्रत्येक विषय में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त किए जाने चाहिए।
- एक से अधिक विषयों में उत्तीर्णता मानदंड के अनुसार 33% से कम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी पुनः परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होगा और उसे रोक दिया जाएगा।
- दो या अधिक विषयों में उत्तीर्णता मानदंड पूरा न करने वाले अभ्यर्थी को रोक दिया जाएगा। केवल एक अनुत्तीर्ण विषय में ही पुनः परीक्षा की अनुमति होगी।
- यदि कोई बच्चा पुनः परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे निरुद्ध घोषित कर दिया जाएगा।
- पुनः परीक्षा वार्षिक परीक्षा के समान पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आयोजित की जाएगी।
- आंतरिक मूल्यांकन/प्रेक्टिकल में प्राप्त अंकों को आगे ले जाया जाएगा और छात्र द्वारा पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जाएगा।
- पुनः परीक्षा में "पास" घोषित होने के लिए, छात्र को उस विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे जिसमें उसने पुनः परीक्षा दी है। पदोन्नति इस शर्त के अधीन भी है कि वह प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट वर्क/बोलने और सुनने के कौशल का मूल्यांकन (एएस एल)/संचार कौशल आदि में अलग से 33% अंक प्राप्त करे।
- अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए पुनः परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को अनुग्रह अंक का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।


आवश्यक पुनरावृत्ति (ईआर) के लिए मानदंड:


- यदि कोई छात्र उस विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त नहीं करता है जिसमें उसने पुनः परीक्षा दी है या पुनः परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो उसे "आवश्यक पुनरावृत्ति" की श्रेणी में रखा जाएगा।
- कक्षा ग्यारह का वह विद्यार्थी जो उत्तीर्ण/पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है तथा उसे "आवश्यक पुनरावृत्ति (ईआर)" की श्रेणी में रखा गया है, उसे अगले सत्र के दौरान उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।

ध्यान देने योग्य बातें:

- किसी भी छात्र को तब तक सत्रांत परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने प्रत्येक सत्र में 75% उपस्थिति पूरी नहीं कर ली हो।
- छात्रों के लिए सभी मूल्यांकनों में उपस्थित होना अनिवार्य है। हालाँकि, यदि कोई छात्र अपरिहार्य परिस्थितियों या चिकित्सा कारणों से किसी आवधिक मूल्यांकन / मध्यावधि परीक्षा / वार्षिक परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहता है, तो माता-पिता से अनुरोध है कि वे कक्षा शिक्षक को सूचित करें या तीन कार्य दिवसों के भीतर जल्द से जल्द मेल करें।
- बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के परीक्षा या उसके किसी भाग में अनुपस्थिति (अनुपस्थिति की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए) को जानबूझकर अनुपस्थिति माना जाएगा तथा कोई अंक, क्रेडिट या भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- यदि कोई छात्र मेडिकल इमरजेंसी के कारण एक या अधिक विषयों में मध्यावधि परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसके परिणाम की गणना के लिए मध्यावधि परीक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा के आधार पर अगली उच्च कक्षा में प्रदोन्नति की जाएगी।
- यदि कोई छात्र चिकित्सा आपात स्थिति के कारण एक या अधिक विषयों में वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वार्षिक परीक्षा उस विषय में ली जाएगी (जिसमें वह चिकित्सा आधार पर छुट्टी पर था)।
- कक्षा आठ में तीसरी भाषा उत्तीर्ण करने वाला विद्यार्थी।
- किसी भी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने/धोखाधड़ी करने वाले छात्र के विरुद्ध परीक्षा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- परीक्षा एवं प्रोन्नति के दिशा-निर्देशों में किसी भी परिवर्तन की सूचना दी जाएगी।


परीक्षा प्रभारी


मध्य एवं माध्यमिक समन्वयक


वरिष्ठ माध्यमिक समन्वयक